दैनिक भास्कर

महानगर

आपस में ऐसी जुड़ीं अदालतें, एक जिले में जज दूसरे में गवाह

चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता के प्रयासों से अब वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से हो रहीं गवाहियां, सिस्टम को व्यापक रूप देकर प्रदेश में लागू करेंगे

नरसिंहपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय में पिछले दस सालों से लंबित एक मुकदमे का निराकरण मुरैना में रहने वाले गवाह भूपेन्द्र सिंह सेंगर की गवाही न होने से नहीं हो पा रहा था। चलने फिरने में अक्षम भूपेन्द्र की परिस्थिति को देखते हुए उसे मुरैना की जिला सत्र न्यायालय में बुलाया गया। वहां से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए उसके बयान नरसिंहपुर के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी देवश्री सिंह की कोर्ट में दर्ज किए गए।

सीहोर में लोकायुक्त की विशेष न्यायाधीश अनीता बाजपेयी की अदालत में भोपाल कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ राकेश वर्मा की गवाही नहीं हो पा रही थी। लोकायुक्त द्वारा दर्ज किया गया एक आपराधिक प्रकरण विशेष अदालत में लंबित था। उन्हें भोपाल कोर्ट में बुलाकर उनके बयान वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए सीहोर कोर्ट में दर्ज हुए।

दतिया की जिला सत्र न्यायाधीश सुनीता यादव और अपर सत्र न्यायाधीश हितेन्द्र द्विवेदी की कोर्ट में 5 अलग-अलग मामलों में गवाहियां वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए हुईं। इसी कड़ी में अदालत ने न सिर्फ आरोपियों के बयान दर्ज किए, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही अपने फैसले भी सुनाए।

मंदसौर के अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आरएल यादव की कोर्ट ने राजस्थान के जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बंद मांगी लाल की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए दर्ज की। प्रोडक्शन वारंट की प्रक्रिया और आरोपी को पेश करने में लगने वाले समय को बचाने यह कवायद जेल से ही की गई।

संवाददाता | जबलपुर

पूरे देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या इस समय चुनौती बनी हुई है। सबसे ज्यादा मुकदमे निचली अदालतों में लंबित हैं। वजह गवाहों का कोर्ट में कई प्रयासों के बाद भी कोर्ट में न आ पाना है। अब इस समस्या से निपटने मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने नया सिस्टम ईजाद किया है। उन्होंने त्वरित न्याय को मूर्त रूप देने सभी जिला सत्र न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से जोड़ने का फैसला लिया, ताकि कोई भी गवाह दूसरे जिले की कोर्ट में जाने के बजाए अपने जिले के ही कोर्ट से अपना बयान दर्ज करा सके। यानी, अब जज एक जिले में होंगे, तो गवाह दूसरे जिले में। इसका पहला प्रयोग भी हुआ, जो कारगर साबित हुआ। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही इस सिस्टम को व्यापक रूप देकर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

बचेगा समय और पैसा

न्यायिक सूत्रों की मानें तो दूसरे जिले में रह रहे गवाह को कोर्ट में बुलाने में काफी वक्त लगता था। इस प्रक्रिया में पक्षकार और गवाह दोनों के पैसे भी खर्च होते थे। अब वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद कम समय में गवाहियां पूरी होंगी। इसके लिए सिर्फ गवाह को सूचना भेजी जाएगी कि उसे किस तारीख को कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग रूम में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराना है।

जजों को दिया गया प्रशिक्षण

रजिस्ट्रार जनरल मो. फहीम अनवर के अनुसार इस सिस्टम को अमल में लाने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के लिए न्यायिक अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके बाद कुछ जिलों की निचली कोर्ट के कर्मचारियों को भी बयान दर्ज करने की कार्रवाई का तरीका भी सिखाया गया। अब जल्द ही सभी जिल सत्र न्यायालयों के कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। पी-4